...लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 18/19	धारा अंतर्गत 53,188 RTA		
समक्ष - श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		निर्णय दिनांक 22.11.22	
उपस्थिति - अभिभाषक वादी - श्री ओम भारद्वाज एड.		अभिभाषक प्रतिवादी श्री चेतन नागर एड.	

वाद शीर्षक

अशोक कुमार मीणा पुत्र राजाराम जाति मीणा नि० करवाड़िया तहसील दीगोद जिला कोटा

बनाम

1 इन्द्रा बाई पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
2 ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
3 गायत्री बाई पुत्री राजकल्याण जाति मीणा निवासी गजनपुरा
4 गिरराज पुत्र रामफूल जाति मीणा नि० गजनपुरा
5 चमेली पुत्र रामफूल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
6 जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्रारंभिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा तह० बारां का पृथक - पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है -

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	लगान	हिस्सा
1 अशोक कुमार पुत्र राजाराम जाति मीणा नि० करवाड़िया तह० दीगोद जिला कोटा	439	0.34	4.08	30 पूर्ण
2 इन्द्रा बाई पुत्री रामप्रताप हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह रहन HDFC बैंक लि० शाखा बारां ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह रहन HDFC बैंक लि० शाखा बारां, ललिता पुत्री गिरिराज हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह गायत्री बाई पुत्री राजकल्याण हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह चमेली पुत्री रामसुख हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह,				

.... को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा ....

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .... को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:00 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुसूची

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम

डिक्री

वाद संख्या 18/19	धारा अंतर्गत	
समक्ष - श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी बारां		निर्णय दिनांक 22-11-22
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम प्रकाश एड.		अभिभाषक प्रतिवादी श्री चैनप्रकाश एड.

वाद शीर्षक

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रसाद हि० 1/65 जाति मीणा रहन — ख.नं. — रकबा — लगान
HDFC बैंक लि० शाखा बारां, दिनेश कुमार पुत्र रामप्रसाद — 439 — 0.65 — 7.80
हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह रहन HDFC बैंक लि० शाखा बारां
नन्दकिशोर पुत्र लालू लाल हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह
मदनलाल पुत्र रामसुख हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह, नरेन्द्र
पुत्र ओमपाल हि० 2/65 जाति मीणा सा० देह रहन BRKGB
कृषि उपज मण्डी बारां, परमानन्द पुत्र रामसुख हि० 1/65 जाति मीणा
सा० देह रहन BRKGB शाखा बारां, बड़ी बाई पत्नी स्व. ओमपाल
हि० 2/65 जाति मीणा सा० देह रहन BRKGB शाखा कृषि उपज
मण्डी बारां, मन्ना लाल पुत्र किशन्या लाल हि० 6/65 जाति मीणा
सा० देह रहन SBI बारां, मनमोहन पुत्र ओमपाल हि० 2/65 जाति
मीणा सा० देह रहन BRKGB शाखा कृषि उपज मण्डी बारां
महेन्द्र पुत्र ओमपाल हि० 2/65 जाति मीणा सा० देह रहन BRKGB
शाखा कृषि उपज मण्डी बारां, मांगी बाई पत्नी स्व० गिर्राज हि०
1/65 मोहनलाल पुत्र लालू लाल हि० 18/65 जाति मीणा सा०देह,

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 22-11-22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम **डिक्री**

वाद संख्या 18/19	धारा अंतर्गत 53, 188 RTA	निर्णय दिनांक 22-11-22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम प्रकाश एड.		अभिभाषक प्रतिवादी श्री ... नागर एड.

वाद शीर्षक

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मोहित पुत्र गिरीराज हि० 1/65 जाति मीणा सा० देह, राजाराम पुत्र प्रेमराजमल हि० 3/65 जाति मीणा सा० देह, राजकन्या पत्नी स्व० प्रेमराजमल हि० 3/65 जाति मीणा सा० देह, रामप्यारी बाई पत्नी स्व. रामसुख हि० 1/65 जाति मीणा सा. देह, विनोद बाई पुत्री रामकल्याण हि० 1/65 जाति मीणा सा. देह, शांति बाई पत्नी स्व० रामप्रताप हि० 1/65 जाति मीणा सा. देह रहन HDFC बैंक शाखा बारां सुगनी पुत्री रामसुख हि० 1/65 जाति मीणा सा. देह, लखनारायण पुत्र रामसुख हि० 1/65 जाति मीणा सा. देह, मुक्ती बाई पुत्री रामकल्याण हि० 1/65 जाति मीणा सा देह, सुल्तान बाई पुत्र रामसुख हि० 1/65 जाति मीणा सा देह सुशीला बाई पुत्री रामकल्याण हि० 1/65 जाति मीणा, हीरालाल पुत्र चौथमल हि० 2/65 जाति मीणा सा देह 0.65 7.80

अधोहस्ताक्षरानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य प्रस्ताव - कुर्रा विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता ...

.... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार .... को निर्गत किया गया।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 22-11-22

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां
बारां

उपखण्ड अधिकारी

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद		प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—18/19
दायरा दिनांक :—12.02.2019
निर्णय दिनांक :— 8.9.22

उनवान

अशोक कुमार मीणा पुत्र राजाराम जाति मीणा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
—वादीगण

बनाम

1. इन्द्राबाई पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
2. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
3. गायत्रीबाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी गजनपुरा
4. गिर्राज पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
5. चमेली पुत्री रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
6. जगदीशप्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
7. दिनेश कुमार पुत्ररामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
8. नन्दकिशोर पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
9. नन्दलाल पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
10. नरेन्द्र पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
11. परमानंद पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
12. बद्रीबाई पत्नी स्व0 मोरपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
13. मन्नालाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
14. मनमोहन पुत्र मोरपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
15. महेन्द्र पुत्र मोरपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
16. मोहनलाल पुत्र स्व0 कालूलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा

16/1. दुष्यन्त पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
16/2. मुकेश पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
16/3. मधु पुत्री मोहनलाल पत्नी धनरूमल जी मीणा निवासी भदकडी तहसील खानपुर जिला झालावाड़
16/4. नगेन्द्र उर्फ गीता पुत्री मोहनलाल मोहनलाल पत्नी भवानीशंकर जाति मीणा निवासी थामली हाल अंता जिला बारां

17. राजाराम पुत्र सूरजमल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
18. रामकन्याबाई पत्नी रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा (मृतक)

18/1. राजाराम पुत्र सुरजमल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
18/2. द्वारकाबाई पुत्री सुरजमल पत्नी घनश्याम [illegible] जिला
18/3. कैलाशबाई पुत्री सूरजमल पत्नी मोहनलाल निवासी उल्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

18/4. बनासीबाई पुत्री सूरजमल पत्नी देवचन्द जाति मीणा निवासी दरडपुरा तहसील बारां
19. रामजानकीबाई पत्नी रामसुख जाति मीणा निवासी गजनपुरा
20. विनोदबाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी गजनपुरा
21. शांतिबाई पत्नी स्व0 श्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
22. सुगना पुत्री रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
23. सत्यनारायण पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
24. सूरूतीबाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी गजनपुरा
25. सुल्तानबाई पुत्री रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
26. सुशीलाबाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी गजनपुरा
27. हरिशंकर पुत्र चौथमल मीणा निवासी गजनपुरा तह0 बारां
28. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांक :–

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज एड0– वादी
2. श्री धैर्य नागर एड0–प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्टविरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया ग्राम गजनपुरा पटवार हल्का गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां की आराजी सम्मत 2070–73 खाता संख्या नया 251 पुराना 133 की आराजी खसरा नं0 439 रकबा 0.99 है0 स्थित है। जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादी द्वारा ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नं. 439 रकबा 0.99 हे0 मे से गायत्रीबाई पुत्री रामकल्याण, चौधराबाई पुत्री बाबूलाल, छोटूलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र किशनलाल, रामबिलास पुत्र बाबूलाल, विनोद बाई पुत्री रामकल्याण, सुरूतीबाई उर्फ सरस्वतीबाई पुत्री रामकल्याण, सुशीलाबाई पुत्री रामकल्याण का हिस्सा रजिर्स्टड विक्रय पत्र से दिनांक 7–1–2019 को क्रय कर विक्रय पत्र लिखाया गया जिसका पंजीयन दिनांक 8–1–2019 को किया गया जिसके आधार पर इंतका क्रमांक 704 दिनांक 25–1–2019 दर्ज किया जा चुका है जिसमें वादी का 26/75 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है किन्तु शामिल खाता होने व खातेदारान अधिक होने के कारण वादी को अपने हिस्से एवं स्वामित्व की आराजियात के उपयोग व उपभोग एवं ऋण वगैरा प्राप्त करने या अन्य किसी प्रकार से सरकारी काम के लिए आवश्यकता होने पर काफी समस्याये उत्पन्न होती है इसलिए शामिल खाता रखा जाना संभव नहीं है इस कारण वादी अपने हिस्से एवं स्वामित्व की आराजियात का बंटवारा कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अकंन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने हेतू तहसील बारां में चलने हेतू निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादीगण अधिक व एक साथ इकट्ठा होने में उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई तो वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियों व तहसीलदार बारां से वादी का खाता पृथक कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अकंन करने का निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई तो वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खाता पृथक कराने के लिए अनुराध किया किन्तु उनके द्वारा स्पष्ट रूप से दिनांक 28–1–2019 को मना कर दिया गया इस प्रकार वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 28–1–2019 को बमुकाम गजनपुरा में उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई वादी क्षरा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं. 251 पेश की गई। साक्ष्य वादी में अशोक कुमार का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन कि विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा तहसील बारां में स्थित है। वादी द्वारा ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नं. 439 रकबा 0.99 हे0 में से गायत्री बाई, चौधराबाई, छोटूलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण, रामबिलास, विनोद बाई, सुरूतीबाई उर्फ सरस्वतीबाई, सुशीलाबाई का का हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय विक्रय पत्र से दिनांक 7–1–2019 को क्रय कर विक्रय पत्र लिखवाया था जिसका पंजीयन दिनांक 8–1–19 को किया गया जिसके जिसके आधार पर नामा0 सं. 704 दिनांक 25–1–2019 दर्ज किया जा चुका है। जिसमें वादी का 26/75 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। परन्तु शामिल खाता होने के कारण तथा अधिक सह खातेदार होने के कारण वादी को अपने हिस्से एवं स्वामित्व की आराजी का उपयोग ,उपभोग एवं ऋण लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है वादी अपने हिस्से की आराजी का विभाजन कराकर अलग खाता दर्ज करवाना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार कर पृथक खाता दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं. 251 के अनुसार विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण वादी अपने हिस्से की आराजी का बंटवारा कराकर अलग खाते दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है। वादी अपने हिस्से की भूमि का बटंवारा कराने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:00 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा तहसील बारां के खसरा नं. 439 रकबा 0.99 हे0 में वादी के हिस्सा 26/75 का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तद्नुरूप प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां, जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 18/2019	धारा अन्तर्गत 53,188 आर टी एक्ट | निर्णय दिनांक : 08.09.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां, जिला बारां	
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम भारद्वाज	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री धैर्य नागर

वाद शीर्षक

उनवान

अशोक कुमार मीणा पुत्र राजाराम जाति मीणा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

बनाम

1. इन्द्राबाई पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
2. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
3. गायत्रीबाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी गजनपुरा
4. गिर्राज पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
5. चमेली पुत्री रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
6. जगदीशप्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
7. दिनेश कुमार पुत्ररामप्रताप जाति मीणा निवासी गजनपुरा
8. नन्दकिशोर पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
9. नन्दलाल पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
10. नरेन्द्र पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
11. परमानंद पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी गजनपुरा
12. बद्रीबाई पत्नी स्व0 मोरपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
13. मन्नालाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
14. मनमोहन पुत्र मोरपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
15. महेन्द्र पुत्र मोरपाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
16. मोहनलाल पुत्र स्व0 कालूलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा

16/1. दुष्यन्त पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
16/2. मुकेश पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा
16/3. मधु पुत्री मोहनलाल पत्नी धनरूमल जी मीणा निवासी भदकडी तहसील खानपुर जिला झालावाड़
16/4. नगेन्द्र उर्फ गीता पुत्री मोहनलाल मोहनलाल पत्नी भवानीशंकर जाति मीणा निवासी थामली हाल अंता

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा तहसील बारां के खसरा नं. 439 रकबा 0.99 हे0 में वादी के हिस्सा 26/75 का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 08.09.2022 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:00 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		

Scanned with CamScanner